आज़ादी का अमृत महोत्सव

10.

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग

क्रमांक प.6(01)प्र.सु./अनु.–3/2018/911 जयपुर, दिनांक 17.06.2022

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 19.04.2022 को राज्य में हो रही सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में ली गई समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना में राज्य में सड़क सुरक्षा गतिविधियों के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु सड़क सुरक्षा विशेष टास्क फोर्स का गठन निम्नानुसार किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. **विशेष टास्क फोर्स के सदस्यः–**

1.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह तथा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
4.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
5.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
6.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग	सदस्य
7.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
8.	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, यातायात	सदस्य
9.	प्रबंध निदेशक, एन.एच.एम.	सदस्य
10.	आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग	सदस्य
11.	अपर/संयुक्त परिवहन आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग	सदस्य सचिव
12.	दो सिविल सोसायटी के प्रोफेशनल/विशेषज्ञ प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रित

2. **<u>स्पेशल टास्क फोर्स के दायित्व</u>**

i. राज्य में घटित गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का वॉर रूम के माध्यम से पर्यवेक्षण/समीक्षा

ii. माननीय उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों की अनुपालना प्राथमिकता से कराने हेतु हितधारक विभागों एवं जिलों का पर्यवेक्षण/समीक्षा

iii. सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति के दायित्वों के निर्वहन, कार्य योजनाओं एवं उनकी क्रियान्विति का पर्यवेक्षण/समीक्षा

iv. राज्य के सभी जिलों में सड़क सुरक्षा के समर्पित सरंचनात्मक ढ़ाँचे का विकास एवं सुदृढ़ीकरण

v. समर्पित सड़क सुरक्षा कोष के माध्यम से विभिन्न हितधारक विभागों द्वारा की जा रही सड़क सुरक्षा गतिविधियों का पर्यवेक्षण/समीक्षा

vi. राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यो, विभिन्न हितधारक विभागों द्वारा सड़क सुरक्षा रोड मेप की क्रियान्विति एवं अन्य सड़क सुरक्षा गतिविधियों का पर्यवेक्षण/समीक्षा

3. <u>स्पेशल टास्क फोर्स में निहित शक्तियां</u>

i. अनुसंधान, विश्लेषण, इम्पेक्ट असेस्मेंट, फील्ड सर्वे, अध्ययन इत्यादि कार्यों हेतु प्रतिष्ठित केन्द्र/राज्य स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों यथा आई.आई.टी., एन.आई.टी. एवं अन्य महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग

ii. राज्य के सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग के माध्यम से सॉफ्टवेयर ऐप्लीकेशनस्, सॉफ्टवेयर डेवलेपमेन्ट इत्यादि हेतु समर्पित विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग

iii. सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यो के प्रभावी क्रियान्वयन/पर्यवेक्षण के लिये प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट युनिट हायर कर उनकी सेवाओं का उपयोग

iv. सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों हेतु सड़क सुरक्षा फंड की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

4. <u>हितधारकों हेतु निर्देश</u>

i. सभी हितधारक विभाग यथा पुलिस, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, आरएसआरडीसीसी, रिडकोर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, शिक्षा विभाग इत्यादि स्पेशल टास्क फोर्स को समयबद्ध रूप से सूचना उपलब्ध कराने एवं निर्देशों की क्रियान्विति हेतु बाध्य होंगे।

ii. समस्त जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं जिला स्तर पर कार्यरत समस्त हितधारक विभागों के अधिकारी स्पेशल टास्क फोर्स को समयबद्ध रूप से सूचना उपलब्ध कराने एवं निर्देशों की क्रियान्विति हेतु बाध्य होंगे।

iii. राज्य सरकार के सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव स्पेशल टास्क फोर्स के सड़क सुरक्षा संबंधी दायित्वों के निर्वहन में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

5. **प्रशासनिक विभाग**

उक्त स्पेशल टास्क फोर्स का प्रशासनिक विभाग परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग होगा तथा टास्क फोर्स का कार्यकाल गठन दिनांक से दो वर्ष के लिये रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

17/06/22

(के.आर.मीना)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः— 912 — 933 / 17/6/22

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग,राजस्थान सरकार।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान,जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग,राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, यातायात, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

15. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
16. मुख्य महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय अधिकारी एन.एच.ए.आई., राजस्थान, जयपुर।
17. क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मॉर्थ),राजस्थान,जयपुर।
18. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
19. समस्त क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी, राजस्थान।
20. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, राजस्थान।
21. शासन उप सचिव (मु.) परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग को आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियाँ समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
22. रक्षित पत्रावली।

17/06/22

उप शासन सचिव